न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 26/2019
दायर दिनांकः 06.12.2019
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

श्री शैतानसिंह पिता श्री किशन सिंह जी जाति रावत निवासी खुमामोटा की गुंआर, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द — **निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. श्री प्यारसिंह पिता श्री हीरासिंह जी जाति रावत आयु 53 वर्ष निवासी नेडी तहसील भीम जिला राजसमन्द — **गैर निगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः—

1— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री आर एल रावत, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02 उपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द में निगराकार के हक आधिपत्य एवं कब्जे शुदा एक पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड स्थित है जिसके पूर्व में भैरूसिंह व लक्षमण सिंह की जमीन पश्चिम में आम रास्ता उत्तर में भैरूसिंह व लक्षमण सिंह की जमीन व दक्षीण में आम रास्ता स्थित है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी/निगराकार को उसके दादाजी स्व. श्री नैनुसिंह पिता श्री लखमा सिंह जी रावत से प्राप्त हुआ है। इस भूखण्ड का एक पट्टा भी ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 20.11.1975 को वादी के दादा जी श्री नैनुसिंह पिता श्री लखमा सिंह जी रावत के नाम पर जारी कर रखा है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीली भगत कर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का एक फर्जी पट्टा धोखधडी पुर्वक प्रार्थी/निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उसका भूखण्ड हडपने की नियत से बना लिया तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रक्रिया अपनाये दिनांक 04.10.2019 को जारी कर दिया गया। जिसे दिनांक 14.11.2019 को उप पंजियक भीम के यहां पंजियन कराया गया जिसे उप पंजियक भीम के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 203 में पृष्ठ संख्या 102 कम संख्या 201903161102344 पर पंजिबद्ध किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से दुखी व पीड़ित होकर यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत है कि विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 04.10. 2019 को जारी पट्टा व इसे जारी करने हेतु पारीत संकल्प संख्या 1 दिनांक 04.10.2019 अवैध विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक ने प्रकरण के तथ्यो को जाने व समझे बिना ही आनन फानन में विपक्षी संख्या दो से मिली भगत कर प्रार्थीगण को नुकसान पहुँचाने व उसके आधिपत्य शुदा प्लोट को हडप करने की नियत से यह अवैध पट्टा जारी कर दिया है। विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है वह भूखण्ड प्रार्थीगण का पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण के हक आधिपत्य एवं कब्जेशुदा है तथा उक्त भूखण्ड में पुराना झौपडा प्रार्थी/निगराकार के दादा के समय से ही बना हुआ था जिसे विपक्षी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से गिरा दिया गया। विपक्षीगण ने अपने द्वारा किये गये अवैध कृत्य की जानकारी अन्य लोगो को नही हो सके इस कारण बाला बाला बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विपक्षी संख्या एक द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया तथा प्रार्थी/निगराकार को अंदेशा है कि उक्त पट्टा जारी करने के पश्चात विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या 2 से मिलि भगत कर फर्जी तरीके से आवश्यक दस्तावेजात की भी पुर्ती कर दी गई है। विपक्षी संख्या एक ने उक्त पट्टे में सबसे उँची बोली विपक्षी संख्या दो द्वारा बोली जाना बताया है जबकि न तो विपक्षी संख्या एक द्वारा कभी भी उक्त पट्टा जारी करने या भूखण्ड का विक्रय करने के लिये आवेदन आमंत्रीत किये गये न ही कभी बोली लगायी गई तथा न ही विपक्षी संख्या एक को उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का अधिकार ही था। विपक्षी ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पुर्व प्रार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला बाला बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह पट्टा कर दिया जो अवैध व विधि के सिद्वान्तो के विपरीत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 04.10.2019 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा/विक्रय विलेख जिसे दिनांक 14.11.2019 को उप पंजियक भीम के यहां पंजियन कराया गया जिसे उप पंजियक भीम के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 203 में पृष्ठ संख्या 102 कम संख्या 201903161102344 पर पंजिबद्ध किया गया व संकल्प संख्या 1 दिनांक 04.10.2004 को निरस्त किया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 04.11.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री आर एल रावत ने उपस्थिति दी। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी है। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द में निगराकार के हक आधिपत्य एवं कब्जे शुदा एक पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड स्थित है जिसके पूर्व में भैरूसिंह व लक्षमण सिंह की जमीन पश्चिम में आम रास्ता उत्तर में भैरूसिंह व लक्ष्मण सिंह की जमीन व दक्षीण में आम रास्ता स्थित है। उक्त भूखण्ड प्रार्थी/निगराकार को उसके दादाजी स्व. श्री नैनुसिंह पिता श्री लखमा सिंह जी रावत से प्राप्त हुआ है। इस भूखण्ड का एक पट्टा भी ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 20.11.1975 को वादी के दादा जी श्री नैनुसिंह पिता श्री लखमा सिंह जी रावत के नाम पर जारी कर रखा है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक से मीली भगत कर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का एक फर्जी पट्टा धोखधडी पुर्वक प्रार्थी/निगराकार को नुकसान पहुँचाने व उसका भूखण्ड हड़पने की नियत से बना लिया तथा विपक्षी संख्या एक ने भी उक्त पट्टा अपने अधिकार से परे जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 04.10.2019 को जारी कर दिया गया। जिसे दिनांक 14.11.2019 को उप पंजियक भीम के यहां पंजियन कराया गया जिसे उप पंजियक भीम के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 203 में पृष्ठ संख्या 102 कम संख्या 201903161102344 पर पंजिबद्ध किया गया। विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 04.10.2019 को जारी पट्टा व इसे जारी करने हेतु पारीत संकल्प संख्या 1 दिनांक 04.10.2019 अवैध विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या एक ने प्रकरण के तथ्यो को जाने व समझे बिना ही आनन फानन में विपक्षी संख्या दो से मिली भगत कर प्रार्थीगण को नुकसान पहुँचाने व उसके आधिपत्य शुदा प्लोट को हड़प करने की नियत से यह अवैध पट्टा जारी कर दिया है। उक्त भूखण्ड में पुराना झौपडा प्रार्थी/निगराकार के दादा के समय से ही बना हुआ था जिसे विपक्षी संख्या 2 द्वारा अवैध रूप से गिरा दिया गया। विपक्षी संख्या एक द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि का विक्रय विलेख के नाम से जारी किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड विपक्षी संख्या एक के हक आधिपत्य का ही नही है तो ऐसी स्थिती में उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख विपक्षी संख्या एक को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी करने का अधिकार ही नही है। विपक्षी ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पुर्व प्रार्थीगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाला बाला बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये यह पट्टा कर दिया जो अवैध व विधि के सिद्वान्तो के विपरीत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/निगराकार की यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 04.10.2019 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 श्री प्यारसिंह पिता हिरासिंह रावत को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 अंतर्गत नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया गया। ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिनांक 20.11.1975 को वादी के दादा जी श्री नैनुसिंह पिता श्री लखमा सिंह जी रावत के नाम पर जारी पट्टे व इस पट्टे के पड़ौस भी भिन्न–भिन्न है। तथा दोनो संपत्ति भिन्न है। तथा मौके पर विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 2 का मकान बना होकर ग्राम पंचायत विधिपूर्वक पट्टा जारी किया गया। अतः निगराकार की निगरानी याचिका खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यावाही विवरण मुद्रित है जिस पर कोई हस्ताक्षर नही हैं। आवेदन पत्र तथा उसके साथ लगाये गये शपथ पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। जो नजरी नक्शा बनाया गया हैं उस पर भी किसी का प्रामणिकरण नही हैं, कोई दिनांक अंकित नहीं है। निरीक्षण प्रपत्र पर सरपंच की तस्दीक नही, दिनांक नही हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर व दिनांक तथा ग्राम पंचायत की मोहर नहीं है। निर्णय पत्र पर भी सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्वतः ही जाहिर होता है कि जो विवादित पट्टा जारी किया गया है वो बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये हुए जारी किया गया है। पत्रावली के सभी दस्तावेज मात्र औपचारिताओ की पूर्ति हेतु की गयी है जो अधुरी है उस पर कहीं सरपंच, ग्रामसेवक के हस्ताक्षर व दिनांक नहीं है। अतः प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 04.10.2019 को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से मूल पट्टा पत्रावली को निर्णय की प्रति के साथ नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)